नकल छायाप्रति आदेश दि० -11-4-011

न्यायालय सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

वाद संख्याः 11 वर्ष 2010—11

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम मैलारायगंज परगना दरियाबाद
तहसील सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

इरम एजुकेशनल सोसाइटी बराय कालेज द्वारा प्रबन्धक डॉ0 ख्वाजा सैय्यद मो0यूनुस

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रार्थी डॉ0 ख्वाजा सैय्यद मो0यूनुस पुत्र मो0 अय्यूब निवासी ग्राम मैलारायगंज परगना दरियाबाद तहसील सिरौली गौसपुर द्वारा ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधि0 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर ग्राम मैलारायगंज की की भूखण्ड संख्या 378 ख/0.105 व 379/0.221 व 380/0.244 व 381/0.257 व 383/0.067 व 431/0.253 कुल 6 किता रकबा 1.147 हे0 भू-भाग को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की जांच हेतु पत्रावली तहसीलदार सिरौली गौसपुर को स्थलीय परीक्षण हेतु प्रेषित की गयी।

प्रभारी तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 11.04.2011 को प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम मैलारायगंज परगना दरियाबाद तहसील सिरौली गौसपुर की खतौनी फसली वर्ष 1417 से 1422 के खाता संख्या 163 की गाटा संख्या 378 ख/0.105 व खाता सख्या 161 की गाटा संख्या 379/0.221 व खाता सख्या 162 की गाटा संख्या-380/0.244 व खाता संख्या 350 की गाटा संख्या 381/0.257 व खाता संख्या 719 की गाटा संख्या-383/0.067 व खाता संख्या 54 की गाटा संख्या 431/0.253 कुल 6 किता रकबा 1.147 हे0 पर इरम एजुकेशनल सोसाइटी बराय कालेज द्वारा प्रबन्धक डॉ0 ख्वाजा सैय्यद मो0यूनुस का नाम बतौर सं0भू0 अभिलेखों मे अंकित है। संक्रमणीय भूमि का उपयोग कृषि कार्यो से इतर किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन कुक्कुटपालन, मत्स्य पालन, आदि कार्य न होकर शिक्षण का कार्य होता है। सम्पूर्ण रकबा चहार दीवारी से घिरा हुआ है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं प्रभारी तहसीलदार की जांच आख्या का विधिवत परिसीलन किया गया। तद्नुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि चूंकि प्रस्तावित भूखण्ड का उपयोग कृषि कार्यो से इतर किया जा रहा है तथा इस पर शिक्षण कार्य चल रहा है, इसलिए ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

आदेश

ग्राम –मैलारायगंज परगना– दरियाबाद तहसील सिरौली गौसपुर की खतौनी फसली वर्ष 1417 से 1422 के खाता संख्या 163 की गाटा संख्या 378 ख/0.105 व खाता सख्या 161 की गाटा संख्या 379/0.221 व खाता सख्या-162 की गाटा संख्या-380/0.244 व खाता संख्या 350 की गाटा संख्या 381/0.257 व खाता संख्या 719 की गाटा संख्या 383/0.067 व खाता संख्या 54 की गाटा संख्या 431/0.253 कुल 6 किता रकबा 1.147 हे0 को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन हो। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार सिरौली गौसपुर को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संस्थित अभिलेखागार हो।

दिनांक 11.04.2011

(मौरीलाल शुक्ल)
सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी
सिरौली गौसपुर, बाराबंकी।

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट–बाराबंकी

11.04.2011

जय प्रकाश
प्रतिलिपिक
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बाराबंकी